

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई. रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023
फोन नं - 0788-2350125

ई-मेल : Bhilai-Nagar-Nigam@cg.gov.in

क्रमांक/एफ-831/1/साप्रवि/विविध/2025/१८८

भिलाई, दिनांक ३०.०७.२५

आदेश

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के परिपत्र क्रमांक/एफ-7-1/2012/1-3 दिनांक 14.06.2013 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं समय-समय पर किये गये संशोधनों का एकजाई आदेश/निर्देश दिनांक 15.04.2024 के द्वारा दी गई सहमति तथा निकाय स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु गठित छानबीन समिति की बैठक दिनांक 28.07.2025 की अनुशंसा अनुसार श्री बिरेन्न कुमार माता स्व. श्रीमती इन्द्राणी चन्द्राकर को नियमित समयपाल/कार्य सहायक ग्रेड-2 के पद पर वेतनमान 5200-20200+1900 (19500-62000 तक) LEVEL-4 में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षावधि पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किया जाता है :-

1. यह अनुकम्पा नियुक्ति शासन के अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी दिशा निर्देश तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निर्धारित प्रपत्र में दस्तावेजों एवं प्रमाण पत्रों के आधार पर दी जा रही है। भविष्य में किसी भी पक्षकार/आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं प्रमाण पत्रों के संबंध में शिकायत करता है एवं जांच में शिकायत सही पाया जाता है तो या आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/प्रमाण पत्र असत्य/गलत पाया जाता है तो आवेदक अनुकम्पा नियुक्ति हेतु स्वमेव अपात्र हो जावेगा एवं अनुकम्पा नियुक्ति एकपक्षीय निरस्त कर दिया जावेगा एवं नियुक्ति दिनांक से की गई समस्त भुगतान भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूलनीय होगा।
2. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह के पूर्व सूचना अथवा सूचना सहित एक माह का वेतन/भत्ते देने पर सेवा समाप्त समझी जावेगी।
3. नियुक्ति आदेश जारी होने के पश्चात 15 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से पदभार ग्रहण करना होगा अन्यथा कार्य पर उपस्थिति मान्य नहीं किया जावेगा तथा आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
4. पदभार ग्रहण करते समय प्रमुख जिला चिकित्सालय दुर्ग का शारीरिक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. पदभार ग्रहण करने पर निगम द्वारा संबंधित कर्मचारी का पृथक से पुलिस विभाग से चरित्र एवं पूर्व वृत्त सत्यापन कराया जावेगा। चरित्र सत्यापन पर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध यदि विपरीत टिप्पणी दी जाती है तो संबंधित का उपरोक्त नियुक्ति आदेश को निरस्त कर दिया जावेगा।
6. कार्य पर उपस्थिति के समय अपने शैक्षणिक योग्यता एवं पात्रता संबंधी मूल प्रमाण-पत्रों को लाना अनिवार्य होगा।
7. अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त होने पर दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित सदस्यों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी अनुकंपा पर नियुक्ति संबंधित आवेदक की होगी।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

क्रमांक.....



पृ.क्रमांक / एफ-831/1 / सा.प्र.वि. / विविध / 2025 / ९८७
प्रतिलिपि :-

भिलाई, दिनांक ३०. ०८.

1. सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ।
2. संचालक, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
3. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, (छ.ग.) दुर्ग को सूचनार्थ।
5. मुख्य अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. अधीक्षण अभियंता I/II नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. उपायुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. उप संचालक, छ.ग. राज्य संपरीक्षा, दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
9. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
10. कार्यालय अधीक्षक सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
11. स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ।
12. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाइट में अपलोड हेतु।
13. सर्व संबंधित श्री..... को सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई